

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2020—कार्तिक 29, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 1907/एफ 12/03/2017/13/2.—यतः, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन हेतु सौर ऊर्जा नीति 2017-27 जारी की गई है। विगत कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव, लागत व्यय में कमी तथा बिजली के क्षेत्र में अपरंपरागत स्रोत आधारित बिजली के क्रय की अनिवार्यता हेतु विनियमों में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अतः राज्य में सौर विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावी सौर ऊर्जा नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

और यतः सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों के निर्माण में तेजी से तकनीकी उन्नयन होने से सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की लागत दर में लगातार कमी आ रही है। फलतः निजी क्षेत्र में केप्टिव यूज तथा बिजली की मांग एवं अंतर में कमी लाने के लिए पारंपरिक स्रोत आधारित बिजली के उत्पादन के विकल्प के रूप में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना महत्वपूर्ण हो गई है। अतः लोकहित में राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 में व्यापक संशोधन किया जाना आवश्यक एवं समीचीन हैं

अतएव, राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 की कंडिका-15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त नीति की “परिशिष्ट” में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो तत्काल प्रभावी होगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नीति के “परिशिष्ट” में,—

1. परिशिष्ट की कंडिका-4 के सरल क्रमांक-(द) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएः, अर्थात् :—
 “(द) सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 01 किलोवाट या 01 किलोवाट से अधिक क्षमता के रूफटाप सोलर पॉवर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.”
2. परिशिष्ट की कंडिका-6 के सरल क्रमांक (ब) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएः, अर्थात् :—
 “(ब) संवर्ग-II राज्य द्वारा केप्टिव उपयोग अथवा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उपभोक्ताओं/लाइसेन्सी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने हेतु एक ही स्थल पर स्थापित होने वाले पॉवर प्लांट हेतु न्यूनतम क्षमता 500 किलोवाट एवं अधिकतम क्षमता या एमएनआरई द्वारा राष्ट्रीय सोलर नीति, समय-समय पर संशोधित में उल्लेखित अधिकतम क्षमता के अनुरूप रहेगी.”
3. परिशिष्ट की कंडिका-8 के शीर्षक एवं उसके सरल क्रमांक (अ) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएः, अर्थात् :—
 “8. राज्य में स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु विभिन्न निवेश प्रोत्साहन, अनुदान, छूट एवं रियायतें
 (अ) सौर ऊर्जा नीति 2017-27 की प्रभावशील अवधि में स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों को राज्य में तत्समय लागू औद्योगिक नीति में परिभाषित प्राथमिकता उद्योगों की श्रेणी को प्राप्त होने वाली निम्नानुसार निवेश प्रोत्साहन अनुदान, छूट, रियायतें उक्त औद्योगिक नीति में प्रावधानित सीमा अनुसार दी जावेंगी :—
 1. ब्याज अनुदान.
 2. स्थायी पूंजी लागत अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों हेतु).
 3. नेट राजस्व वस्तु एवं सेवा कर प्रति पूर्ति (लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों हेतु).
 4. विद्युत शुल्क छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों हेतु).
 5. स्टॉप शुल्क से छूट.
 6. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान.
 7. भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट.
 8. औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर (भूमि बैंक) भू-आवंटन सेवा शुल्क में रियायत.

9. अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों तथा तृतीय लिंग समुदाय के पात्र उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों के लिये).
10. दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान.
11. मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये विशेष पैकेज.

(टीप :- उपरोक्तानुसार वर्णित सुविधाओं में सम्मिलित परिभाषा एवं व्याख्या वहीं होंगे जो तत्समय राज्य की प्रभावशील औद्योगिक नीति में निहित हो.)”

4. परिशिष्ट की कंडिका-8 के सरल क्रमांक-(स) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात् :-
“(स) औद्योगिक नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन/रियायतों में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन यथा स्वरूप में सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों पर लागू रहेंगे.”
5. परिशिष्ट की कंडिका-8 के सरल क्रमांक-(स) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़े जाए; अर्थात् :-
“(द) ऊपर (अ), (ब) एवं (स) में निहित निवेश प्रोत्साहन अनुदान, छूट एवं रियायतें सौर विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन अवधि अथवा अधिकतम 25 वर्षों, जो भी पहले हो, ऐसे संयंत्र विकासकर्ता को प्राप्त हो सकेगी जिनके द्वारा संयंत्र की स्थापना हेतु दिनांक 31-12-2023 के पूर्व भूमि आधिपत्य प्राप्त कर प्लॉट एवं मशीनरी के मद में न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का निवेश किया गया हो.

यदि संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन लैंड बैंक के माध्यम से किया गया हो तो उक्त संयंत्र विकासकर्ता को संयंत्र की स्थापना भू-आधिपत्य प्राप्त करने के 01 वर्ष के भीतर किया जाना बंधनकारी होगा, अन्यथा की स्थिति में भू-आबंटन स्वमेव निरस्त समझा जावेगा.

यदि संयंत्र की स्थापना हेतु संयंत्र विकासकर्ता द्वारा निजी भूमि का क्रय नीति में निहित रियायतों का सुविधा प्राप्त कर किया गया हो तो उक्त भू-आधिपत्य प्राप्त करने की तिथि के 01 वर्ष के भीतर संयंत्र की स्थापना हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा. उक्त अवधि में संयंत्र स्थापना की कार्यवाही नहीं करने पर भूमि के क्रय हेतु प्राप्त की गई समस्त रियायतों की वापसी निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् 06 माह की समय-सीमा में किया जाना अनिवार्य होगा एवं भूमि का क्रय अनुबंध निरस्त कर उक्त भूमि विक्रेता को निःशर्त वापस किया जाना होगा. 06 माह के पश्चात् रियायत की वापसी योग्य राशि भू-राजस्व वसूली अधिनियम के तहत मयब्याज वसूली योग्य समझी जावेगी.

- (इ) सौर ऊर्जा नीति 2017-27 के अंतर्गत रियायतें प्राप्त कर स्थापित की गई सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों का संचालन संयंत्र के जीवन काल अर्थात् वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 25 वर्ष तक किया जाना आवश्यक होगा. संयंत्र का संचालन निर्धारित अवधि के पूर्व बंद करने की स्थिति में संयंत्र विकासकर्ता द्वारा प्राप्त की गई रियायतों का भुगतान/वापसी राज्य शासन को करना होगा.”
6. परिशिष्ट की कंडिका-9 के सरल क्रमांक-(ब) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात् :-
“विक्रय हेतु व्हीलिंग और पारेषण प्रभार से छूट रहेगी.”
7. परिशिष्ट की कंडिका-9 के सरल क्रमांक-(स) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात् :-
“राज्य के भीतर किसी तीसरी पार्टी को बिजली विक्रय पर क्रास सब्सिडी के चार्ज से छूट रहेगी.”
8. परिशिष्ट की कंडिका-9 के सरल क्रमांक-(द) के भाग (iii) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात् :-
“iii. प्रत्येक वर्ष के अलग-अलग माह हेतु “Peak” एवं “Off peak” अवधि में बैंकिंग चार्ज से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार होंगे.”

9. परिशिष्ट की कंडिका-9 के सरल क्रमांक (फ) के पश्चात सरल क्रमांक-(ब) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:, अर्थात् :—
“(ग) ग्रिड संयोजित परियोजना के लिये भूमि:—

सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता राज्य की औद्योगिक नीति में अधोसंरचना विकास एवं औद्योगिक भूमि प्रबंधन के प्रावधान अनुसार की जावेगी. केप्टिव सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि राज्य की औद्योगिक नीति के अंतर्गत चिन्हित भूमि बैंक से आबंटन के समय प्राथमिकता दी जावेगी.

शासन द्वारा निजी भूमि अधिग्रहित कर उपलब्ध कराने की दशा में इससे संबंधित राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति लागू होगी. सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु वैधानिक स्वीकृतियों/अनुमतियों को प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर होगा.”

10. परिशिष्ट की कंडिका-13 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:, अर्थात् :—
“निम्नलिखित गतिविधियों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली के तौर पर सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा :—

- अ) यह सुनिश्चित करना कि इस नीति के अनुरूप संबंधित विभागों द्वारा समस्त शासकीय आदेश समय रहते जारी हो जायें.
- ब) राज्य सरकार और उसके अभिकरणों से वांछित समस्त अनापत्तियां, अनुमतियां, अनुमोदन और सहमतियां जारी कराना.
- स) यह सुनिश्चित करना कि राज्य की नीतियों के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध समस्त रियायतें सौर विद्युत उत्पादकों हेतु प्रयोज्य की जायें.
- द) आने वाले सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु निष्क्रमण (इवेक्यूवेशन) अधोसंरचना के विकास को समय रहते सुनिश्चित करना.
- इ) ग्रिड की अंतः क्रियाशील प्रणालियों के संधारण को बढ़ावा देना जिससे संयंत्र क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.
- प) राज्य सरकार और इसके अभिकरणों द्वारा भूमि के आबंटन को सुगम बनाना.
- फ) लंबित अनापत्तियों की समीक्षा समय-समय पर सशक्त समिति द्वारा की जायेगी.”

11. परिशिष्ट की कंडिका-16 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाए.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 1909/एफ 12/03/2017/13/2.— राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1907/एफ 12/03/2017/13/2 दिनांक 09-11-2020 द्वारा सौर ऊर्जा नीति, 2017-27 में संशोधन जारी किया गया है. तदनुसार राज्य सरकार, एतद्वारा, सौर ऊर्जा नीति, 2017-27 में उपरोक्त संशोधन को सम्मिलित कर आदेश क्रमांक 1720/एफ-12/03/2017/13/2 दिनांक 07 जुलाई 2017 को अतिष्ठित करते हुए निम्नलिखित “सौर ऊर्जा नीति, 2017-27 (यथासंशोधित)” जारी करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव.

परिशिष्ट (यथासंशोधित)

छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 (यथासंशोधित)**प्रस्तावना:-**

(अ) पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ रही वैश्विक जागरूकता के परिदृश्य में कोयला आधारित ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर राज्य की निर्भरता को कम करना और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक हो गया है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण में सामानजस्य रखते हुए भविष्य में जीवाश्म आधारित ईंधन (Fossil Fuel) के उपयोग पर निर्भरता को सुनियोजित तरीके से समाप्त करने तथा बिजली की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए निर्णायक रणनीतियों (Crucial Strategy) के तहत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है।

(ब) सौर ऊर्जा जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, का वर्तमान में उपलब्ध क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं हो पा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की घोषणा करते हुए भारत में प्रत्येक वर्ष के औसतन 300 धूप वाले दिनों में प्रतिदिन 5.5 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर की औसत दर से सौर विकिरण का उपयोग देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पहल की गई है। उक्त योजना के प्रारंभिक परिणामों के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में देश में सौर पार्क विकसित कर अल्ट्रा मेगा सौर पॉवर प्रोजेक्ट योजना के तहत 20 हजार मेगावाट क्षमता के सौर पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई। वर्ष 2017 में उक्त योजना के तहत स्थापित होने वाले सौर पॉवर प्लांट के लक्ष्य को 20 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 40 हजार मेगावाट किया गया।

(स) राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की उक्त योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है जो भारत सरकार की सौर पार्क विकसित कर अल्ट्रा मेगा पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी यथा सौर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से राज्य में उपलब्ध सौर विकिरण के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रयासरत है।

(द) प्रकृति में सहजता से उपलब्ध सौर प्रकाश का दोहन कर सौर विकिरण आधारित सौर विद्युत क्षमता के विकास तथा पर्यावरण पर बदलाव के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु बड़ी संख्या में अल्ट्रा मेगा सौर पॉवर प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहित करना एक प्रभावी पहल है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी।

(इ) छत्तीसगढ़ में सौर विकिरण की उच्च तीव्रता उपलब्ध होने से बड़े पैमाने पर सौर-ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत के प्रमुख सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र के रूप में राज्य को विकसित करने की असीमित संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु असीमित संभावनाएं तथा राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण सौर उपस्कर उत्पादन का भविष्य भी बहुत उज्ज्वल है और इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की भी संभावनाएं हैं। तदनुसार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित संयंत्रों के निर्माण इकाईयों की स्थापना के लिए अनुकूल एवं लाभप्रद स्थितियां विद्यमान हैं।

(फ) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन हेतु वर्ष 2012 में जारी नीति की वैधता 31 मार्च 2017 तक थी। विगत कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव, लागत व्यय में कमी तथा बिजली के क्षेत्र में अपरंपरागत स्रोत आधारित बिजली के क्रय की अनिवार्यता हेतु विनियमों में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में आगामी 10 वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश की बहुत अधिक संभावनाएं हैं अतः राज्य में आगामी 5 से 10 वर्षों में सौर विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी नई नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

(ह) छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने राज्य में मजबूत विद्युत पारेषण प्रणाली विकसित की गई है जिसके अंतर्गत 400 के.व्ही., 220 के.व्ही. तथा 132 के.व्ही. की विद्युत लाइनें राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध हैं। राज्य में विद्युत पारेषण की भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए पारेषण प्रणाली में पर्याप्त क्षमता उन्नयन हेतु अधोसंरचना के कार्य प्रस्तावित हैं, जिससे दूरस्थ अंचलों में सौर पॉवर प्लांट की स्थापना कर उत्पादित बिजली का पारेषण सहजता से किया जा सकेगा।

(ज) राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत प्रदेश में अल्ट्रासोलर पॉवर प्लांट विकसित कर राज्य में सौर ऊर्जा की उपलब्ध क्षमता को आवश्यकता के अनुरूप विकसित करने के लिए राज्य सरकार एतद्वारा "छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति 2017-2027" जारी की गई है। सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों के निर्माण में तेजी से तकनीकी उन्नयन होने से सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की लागत दर में लगातार कमी आ रही है फलतः निजी क्षेत्र में केप्टिव यूज तथा बिजली की मांग एवं अंतर में कमी लाने के लिए पारंपरिक स्रोत आधारित बिजली के उत्पादन के विकल्प के रूप में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना महत्वपूर्ण हो गई है। अतः राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 में व्यापक संशोधन आवश्यक हैं।

तदनुसार राज्य सरकार एतद्वारा "छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति 2017-27 (यथासंशोधित)" जारी करती है।

1. उद्देश्य:-

राज्य सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ "छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति 2017-27" लागू करती है :-

- (अ) विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के प्रयोजन एवं पर्यावरणीय और आर्थिक एवं दूरगामी योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- (ब) सौर विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- (स) राज्य में सौर उत्पादन क्षमताओं के विकास हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित करना।
- (द) कोयले जैसे पारंपरिक तापीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को क्रमशः कम करते हुए राज्य की दीर्घकालीन ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करना।
- (इ) प्रदेश के दूरस्थ व पहुंच विहीन क्षेत्रों में निवासरत् ग्रामीणों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय (Stand Alone) आधार पर ग्रिड से पृथक सौर अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना।
- (प) सर्व प्रयोजन हेतु स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) की पहुंच सुनिश्चित करना।
- (फ) राज्य में विकेन्द्रीकृत उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित करना।

- (क) सौर ऊर्जा उत्पादन, निर्माण और संबंधित सहायक उद्योगों में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार संभावनाओं का सृजन करना ।
- (ख) सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु राज्य में उपलब्ध पड़त/गैर कृषि अनुपयोगी भूमि का प्रभावी उपयोग करना ।
- (ग) इस क्षेत्र के लिए कुशल और अर्द्ध कुशल मानव संसाधन का विकास करना ।
- (घ) सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन से संबंधित अभिनव परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना ।

2. प्रचलन की अवधि:—

राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017-27 (प्रथम संशोधन), आदेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक अथवा नई सौर ऊर्जा नीति के जारी होने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी ।

3. परियोजना विकासकर्ता हेतु पात्रता:—

कोई व्यक्ति, पंजीकृत कंपनी, केन्द्रीय और राज्य विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियां और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के सौर विद्युत परियोजना विकासकर्ता (सौर फोटोवोल्टेक/सौर तापीय) और सौर विद्युत परियोजनाओं से संबंधित उपस्करों की निर्माणकर्ता इकाइयां और सहायक उद्योग, समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसरण में सौर विद्युत परियोजनाओं, चाहे वे केपिटल उपयोग और/अथवा विद्युत के विक्रय के उद्देश्य से हों, को स्थापित करने हेतु पात्र होंगे ।

4. सोलर पॉवर प्लांट को दी जाने वाली सुविधाएं:—

अ) ग्रिड से सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजना की स्थापना स्वयं के उपयोग के लिए अथवा राज्य के बाहर सीधे किसी उपभोक्ता/संस्था/लाइसेंसी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने के लिए की जा सकेगी । सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना के विकासकर्ताओं को राज्य में स्वयं के उपयोग अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर बिजली के विक्रय हेतु सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा ।

ब) ग्रिड से सम्बद्ध सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजना को अक्षय ऊर्जा (सोलर) सर्टिफिकेट (Renewable Energy Certificate-REC) प्रणाली के माध्यम से बिजली क्रय की अनुमति:—

राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को सौर विद्युत संयंत्र स्थापित कर उत्पादित बिजली को आरईसी (सोलर) मैकेनिजिम के अंतर्गत अन्यत्र बेचने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा । सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों से उत्पादित बिजली का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा Renewable Purchase Obligation (अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता-आरपीओ) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रेग्युलेशन के तहत किया जा सकेगा । लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के अनुसार बिजली क्रय हेतु अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

स) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग अथवा उपयुक्त विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित रेग्युलेशन के अंतर्गत राज्य के सौर ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को आरईसी (सोलर) सर्टिफिकेट विक्रय की अनुमति रहेगी ।

द) सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 01 किलोवाट या 01 किलोवाट से अधिक क्षमता के रूफटाप सोलर पॉवर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

5. सौर पॉवर प्लांट के प्रकार:-

राज्य में स्थापित होने वाले सौर पॉवर प्लांट को निम्नानुसार 04 संवर्गों में चिन्हित किया जाएगा:-

(अ) संवर्ग-I। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के विक्रय हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धा आधारित निविदा के अंतर्गत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट।

(ब) संवर्ग-II। राज्य में केप्टिव उपयोग अथवा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उपभोक्ताओं/लाइसेन्सी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने हेतु स्थापित होने वाले पॉवर प्लांट।

(स) संवर्ग-III। राज्य में आरईसी- सोलर मैकेनिजिम (Solar Mechanism) के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट।

(द) संवर्ग-iv जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट।

3. लक्षित क्षमता:-

राज्य शासन में विभिन्न संवर्ग के सोलर पॉवर प्लांट हेतु निम्नानुसार क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना का प्रयास किया जाएगा।

(अ) संवर्ग-I। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के विक्रय हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धा आधारित निविदा के अंतर्गत सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरपीओ के तहत बिजली के क्रय हेतु समय-समय पर अधिसूचित रेग्युलेशन के अनुरूप रहेगा।

(ब) संवर्ग-II। राज्य द्वारा केप्टिव उपयोग अथवा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उपभोक्ताओं/लाइसेन्सी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने हेतु एक ही स्थल पर स्थापित होने वाले पॉवर प्लांट हेतु न्यूनतम क्षमता 500 किलोवाट एवं अधिकतम क्षमता या एमएनआरई द्वारा राष्ट्रीय सोलर नीति, समय-समय पर संशोधित में उल्लेखित अधिकतम क्षमता के अनुरूप रहेगी।

(स) संवर्ग-III। राज्य द्वारा आरईसी (सोलर) मैकेनिजिम के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट हेतु क्षमता की कोई सीमा नहीं रहेगी।

(द) संवर्ग-iv राज्य द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

(इ) राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं इनसे संबंधित विनिर्माण सुविधा के लिए सौर पार्क के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। सौर पार्क में सभी सामान्य सुविधाएं जैसे उपयुक्त भूमि, जल की उपलब्धता एवं आंतरिक पहुंच हेतु सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी। सौर पार्क में स्थापित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ने के लिए विद्युत पारेषण लाइनों की स्थापना राज्य के विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्टेट ग्रिड कोड, कनेक्टिविटी तथा ओपन एक्सेस हेतु प्रभावशील रेग्युलेशन के तहत की जा सकेगी।

राज्य में चिन्हित किये गये स्थलों पर विकसित सौर पार्क में निजी निवेशकों द्वारा स्वयं के व्यय पर अथवा निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) में लागत में हिस्सेदारी (Sharing) के आधार पर सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. भवनों की छत पर स्थापित होने वाली सौर विद्युत परियोजनाएं:—

भवनों की छत पर सौर विद्युत उत्पादन एक महत्वपूर्ण उदीयमान क्षेत्र है और राज्य सरकार इस निमित्त भारत सरकार के सहयोग से एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ कर सकेगी। नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहन इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना विकासकर्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।

8. राज्य में स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु विभिन्न निवेश प्रोत्साहन, अनुदान, छूट एवं रियायतें

(अ) सौर ऊर्जा नीति 2017-27 की प्रभावशील अवधि में स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों को राज्य में तत्समय लागू औद्योगिक नीति में परिभाषित प्राथमिकता उद्योगों की श्रेणी को प्राप्त होने वाली निम्नानुसार निवेश प्रोत्साहन अनुदान, छूट, रियायतें उक्त औद्योगिक नीति में प्रावधानित सीमा अनुसार दी जावेंगी :—

- 1 ब्याज अनुदान।
- 2 स्थायी पूँजी लागत अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों हेतु)।
- 3 नेट राजस्व वस्तु एवं सेवा कर प्रति पूर्ति (लघु, मध्यम एवं बृहद उद्योगों हेतु)।
- 4 विद्युत शुल्क छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहद उद्योगों हेतु)।
- 5 स्टॉप शुल्क से छूट।
- 6 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान।
- 7 भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट।
- 8 औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर (भूमि बैंक) भू-आवंटन सेवा शुल्क में रियायत।
- 9 अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों तथा तृतीय लिंग समुदाय के पात्र उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों के लिये)।
- 10 दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान।
- 11 मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये विशेष पैकेज।

(टीप:- उपरोक्तानुसार वर्णित सुविधाओं में सम्मिलित परिभाषा एवं व्याख्या वही होंगे जो तत्समय राज्य की प्रभावशील औद्योगिक नीति में निहित हो।)

(ब) विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट:—

प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वयं की खपत (ऑन-जलरी खपत) व राज्य के भीतर की गई केप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी। विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट सौर ऊर्जा नीति के परिपेक्ष्य में मार्च 2027 तक स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिये प्रभावशील रहेंगी।

- (स) औद्योगिक नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन/रियायतों में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन यथा स्वरूप में सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों पर लागू रहेंगे।
- (द) ऊपर (अ), (ब) एवं (स) में निहित निवेश प्रोत्साहन अनुदान, छूट एवं रियायतें सौर विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन अवधि अथवा अधिकतम 25 वर्षों, जो भी पहले हो, ऐसे संयंत्र विकासकर्ता को प्राप्त हो सकेगी जिनके द्वारा संयंत्र की स्थापना हेतु दिनांक 31.12.2023 के पूर्व भूमि आधिपत्य प्राप्त कर प्लांट एवं मशीनरी के मद में न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का निवेश किया गया हो।

यदि संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन लैण्ड बैंक के माध्यम से किया गया हो तो उक्त संयंत्र विकासकर्ता को संयंत्र की स्थापना भू-आधिपत्य प्राप्त करने के 01 वर्ष के भीतर किया जाना बंधनकारी होगा, अन्यथा की स्थिति में भू-आबंटन स्वमेश निरस्त समझा जावेगा।

यदि संयंत्र की स्थापना हेतु संयंत्र विकासकर्ता द्वारा निजी भूमि का क्रय नीति में निहित रियायतों का सुविधा प्राप्त कर किया गया हो तो उक्त भू-आधिपत्य प्राप्त करने की तिथि के 01 वर्ष के भीतर संयंत्र की स्थापना हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। उक्त अवधि में संयंत्र स्थापना की कार्यवाही नहीं करने पर भूमि के क्रय हेतु प्राप्त की गई समस्त रियायतों की वापसी निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात 06 माह की समय-सीमा में किया जाना अनिवार्य होगा एवं भूमि का क्रय अनुबंध निरस्त कर उक्त भूमि विक्रेता को निःशर्त वापस किया जाना होगा। 06 माह के पश्चात रियायत की वापसी योग्य राशि भू-राजस्व वसूली अधिनियम के तहत मयब्याज वसूली योग्य समझी जावेगी।

- (इ) सौर ऊर्जा नीति 2017-27 के अंतर्गत रियायतें प्राप्त कर स्थापित की गई सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों का संचालन संयंत्र के जीवन काल अर्थात् वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 25 वर्ष तक किया जाना आवश्यक होगा। संयंत्र का संचालन निर्धारित अवधि के पूर्व बंद करने की स्थिति में संयंत्र विकासकर्ता द्वारा प्राप्त की गई रियायतों का भुगतान/वापसी राज्य शासन को करना होगा।

9. अतिरिक्त प्रोत्साहन:-

- (अ) तृतीय पक्ष विक्रय हेतु खुली पहुंच (Open Access):-

यदि किसी विकासकर्ता को खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की जाती है तो वह राज्य के बाहर तृतीय पक्ष को विद्युत के विक्रय हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोग या केन्द्रीय नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर Open Access Charges (प्रयोज्य खुली छूट प्रभार) और हानियों का भुगतान ओपन एक्सेस आवेदक द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेन्सी जो भी लागू हो को करेगा।

- (ब) व्हीलिंग और पारेषण प्रभार:-

विक्रय हेतु व्हीलिंग और पारेषण प्रभार से छूट रहेगी।

(स) क्रास सब्सिडी प्रभार:-

राज्य के भीतर किसी तीसरी पार्टी को बिजली विक्रय पर क्रास सब्सिडी के चार्जस से छूट रहेगी।

(द) राज्य के सोलर प्लांट्स को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शतप्रतिशत बैंकिंग की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन रहेगी:-

- i. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बैंकिंग के तहत जमा बिजली की यूनिटों का सत्यापन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- ii. बैंकिंग के तहत जमा की गई बिजली की यूनिटों की वापसी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समय-समय पर इस हेतु अधिसूचित विनियम के अधीन प्रशासित रहेगी।
- iii. प्रत्येक वर्ष के अलग-अलग माह हेतु "Peak" एवं "Off peak" अवधि में बैंकिंग चार्जस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार होंगे।
- iv. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकिंग के तहत जमा की गई बिजली की यूनिट्स में से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से वापस प्राप्त की गई बिजली की यूनिटों के समायोजन उपरांत अतिशेष बिजली की यूनिटों का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत क्रय दर पर किया जा सकेगा।
- v. ऐसे औद्योगिक संस्थान जो राज्य की सोलर नीति के अंतर्गत संवर्ग-2 अथवा 3 में वर्गीकृत हैं को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से अनुबंधित मांग पर विद्युत क्रय कर रहा है, इनकी एनर्जी एकाउंटी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित रेगुलेशन यथा Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Intra State availability based tariff and deviation settlement mechanism) Regulation, 2016 अथवा इस हेतु समय-समय पर अधिसूचित रेगुलेशन के अधीन प्रशासित रहेगा।
- vi. राज्य के नीति के अंतर्गत स्थापित सोलर पॉवर प्लांट्स को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत जारी आदेश/ निर्देश एवं छोरा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी रेगुलेशन की शर्तों के अधीन राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर बिजली के विक्रय की अनुमति रहेगी।

(इ) अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (REC):-

ऊपर कंडिका 4 (अ) व 4 (ब) के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक परियोजना को अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (REC) लाभ प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। ऐसे सौर विद्युत उत्पादक को स्वयं के एकमेव (Dedicated) ग्रिड में स्वयं के उपयोग हेतु डाली गई (Inject) विद्युत पर राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत आरईसी के लाभ की पात्रता रहेगी।

(फ) ग्रिड संयोजकता और उसमें विद्युत संयोजन की सुविधा:-

सौर विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत को ग्रिड संहिता की शर्तों के अधीन निकटतम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण/वितरण लाइसेंसी के सब स्टेशन में इंजेक्ट करने की सुविधा रहेगी। विद्युत के पारेषण हेतु सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र के स्वीच यार्ड से ग्रिड उपकेन्द्र (सब स्टेशन) जो कि अंतर संयोजन बिन्दु (इंटर कनेक्शन प्वाइंट) है, तक विद्युत लाइन की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य की पारेषण कंपनी या वितरण कंपनी द्वारा परियोजना विकासकर्ता

के व्यय पर की जायेगी। यदि परियोजना विकासकर्ता स्वयं के व्यय पर विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को नियमानुसार देय परीवेक्षण शुल्क का भुगतान कर, राज्य की ट्रांसमिशन/वितरण कंपनी के परीवेक्षण में अथवा बिना परीवेक्षण शुल्क का भुगतान करने पर स्वयं के परीवेक्षण में लाइन की स्थापना का विकल्प होगा। लेकिन परियोजना विकासकर्ता को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु राज्य की पारेषण/वितरण प्रणाली में तकनीकी क्षमता की उपलब्धता की पुष्टि प्राप्त कर स्वयं के व्यय पर लाइन निर्माण की अनुमति रहेगी। इस हेतु राज्य की पारेषण/वितरण कंपनी द्वारा यथास्थिति विद्युत पारेषण/वितरण प्रणाली में तकनीकी क्षमता की उपलब्धता की पुष्टि, आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस में किया जाएगा।

(ग) **ग्रिड संयोजित परियोजना के लिये भूमि:-**

सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता राज्य की औद्योगिक नीति में अधोसंरचना विकास एवं औद्योगिक भूमि प्रबंधन के प्रावधान अनुसार की जावेगी। केप्टिव सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि राज्य की औद्योगिक नीति के अंतर्गत चिह्नित भूमि बैंक से आवंटन के समय प्राथमिकता दी जावेगी।

शासन द्वारा निजी भूमि अधिग्रहित कर उपलब्ध कराने की दशा में इससे संबंधित राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति लागू होगी। सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु वैधानिक स्वीकृतियों/अनुमतियों को प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर होगा।

(भ) **अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता (RPO):-**

विद्युत वितरण कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक खुली निविदा से निर्धारित विद्युत दरों के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता (RPO) हेतु विद्युत का क्रय करेगी। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सुविधा अनुसार अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (REC) प्रणाली के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा समय-समय पर स्वीकृत विद्युत की संयुक्त (पूल्ड) लागत दरों पर ऐसा क्रय किया जा सकेगा।

10. **परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा:-**

विकासकर्ता को आवंटित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से 24 माह की अवधि में पूर्ण करना अपेक्षित है।

11. **जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध:-**

सौर विद्युत संयंत्र में किसी भी तरह के जीवाश्म आधारित ईंधन कोयला, गैस, लिगनाईट, नेपथा, लकड़ी आदि का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। यदि सोलर थर्मल संयंत्र किसी इकाई के परिसर में स्थापित होता है तो इसे पूर्व से स्थापित जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्र से भौतिक रूप से पृथक परिसर में रखना होगा।

12. नोडल एजेन्सी (संपर्क अभिकरण) की भूमिका:—

नोडल एजेन्सी (संपर्क अभिकरण), परियोजना विकासकर्ताओं को सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगा और इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करेगा:—

- (क) राज्य में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु निविदाओं के आमंत्रण की प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्य जिसमें शासन के विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध भूमि के चिन्हांकन तथा चिन्हित भूमि के आवंटन में सहायता करना तथा राज्य स्तर पर आवश्यक अनुमति/स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु नोडल एजेन्सी (संपर्क अभिकरण) के रूप में कार्य करना।
- (ख) स्थल का चिन्हांकन एवं भूमि बैंक का गठन।
- (ग) राज्य शासन अथवा उसकी एजेंसियों के पास उपलब्ध भूमि/स्थान के आवंटन में सहायता।
- (घ) मार्ग अधिकार (राईट आफ वे), जल आपूर्ति एवं सड़क तक पहुंच आदि में सहायता
- (ङ) प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से समुचित मानव संसाधन का विकास।

13. एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली:—

निम्नलिखित गतिविधियों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली के तौर पर सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा:—

- अ) यह सुनिश्चित करना कि इस नीति के अनुरूप संबंधित विभागों द्वारा समस्त शासकीय आदेश समय रहते जारी हो जायें।
- ब) राज्य सरकार और उसके अभिकरणों से वांछित समस्त अनापत्तियां, अनुमतियां, अनुमोदन और सहमतियां जारी कराना।
- स) यह सुनिश्चित करना कि राज्य की नीतियों के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध समस्त रियायतें सौर विद्युत उत्पादकों हेतु प्रयोज्य की जायें।
- द) आने वाले सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु निष्क्रमण (इवेक्युवेशन) अधोसंरचना के विकास को समय रहते सुनिश्चित करना।
- इ) ग्रिड की अंतः क्रियाशील प्रणालियों के संधारण को बढ़ावा देना जिससे संयंत्र क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- प) राज्य सरकार और इसके अभिकरणों द्वारा भूमि के आवंटन को सुगम बनाना।
- फ) लंबित अनापत्तियों की समीक्षा समय-समय पर सशक्त समिति द्वारा की जायेगी।

14. सशक्त समिति:—

इस नीति के परिणामस्वरूप उद्भूत होने वाले विभिन्न मुद्दों पर नजर रखने, निगरानी करने और उनका समाधान करने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति गठित की जायेगी। समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार हैं:—

1. वित्त विभाग के भारसाधक सचिव
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के भारसाधक सचिव

3. राजस्व विभाग के भारसाधक सचिव
4. ऊर्जा विभाग के भारसाधक सचिव
5. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
6. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
7. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
8. सी0ई0ओ0 छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)- सदस्य सचिव

सशक्त समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी। समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करेगी और निर्णय लेगी:-

1. एकल खिड़की प्रणाली की निगरानी (मॉनिटरिंग)
2. समय-समय पर उत्पन्न हो सकने वाले अंतर्विभागीय मुद्दों का समाधान
3. सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में कठिनाईयों को दूर करना।
4. अन्य कोई सुसंगत विषय

15. सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करना:-

राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017-27 (प्रथम संशोधन) के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के समाधान अथवा राष्ट्रीय टैरिफ नीति, राष्ट्रीय सोलर मिशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश पृथक से जारी कर सकेगा, जो राज्य की नीति का भाग होगा।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 29 अगस्त 2020

क्रमांक/1858/अ-82/2019-20/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	बड़ेकुरुसनार	0.424	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	ग्राम बड़ेकुरुसनार व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 29 अगस्त 2020

क्रमांक/1859/अ-82/2019-20/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	छोटेकुरुसनार	0.435	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	ग्राम छोटेकुरुसनार व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 29 अगस्त 2020

क्रमांक/1860/अ-82/2019-20/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	करनपुर	2.737	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	ग्राम करनपुर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 29 अगस्त 2020

क्रमांक/1861/अ-82/2019-20/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	जोड़ेंगा	1.685	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	ग्राम जोड़ेंगा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 29 अगस्त 2020

क्रमांक/1862/अ-82/2019-20/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	मर्दापाल	2.128	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	ग्राम मर्दापाल व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय कलेक्टर जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ.ग.)

क्रमांक 7429/वाचक/रा.नि.मं.पु./2020

बैकुण्ठपुर, दिनांक 31 अगस्त 2020

रा.प्र.क्र. 01/अ-74/2019-20
आई.डी. क्र.-202008010800001

श्री रविशंकर सिंह, जिला पंचायत सदस्य,
क्षेत्र क्रमांक-02, जिला कोरिया (छ.ग.)

—

आवेदक

प्रति

छत्तीसगढ़ शासन

—

अनावेदक

आदेश

(पारित आदेश दिनांक 28/08/2019)

आवेदक श्री रविशंकर सिंह, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक-02 जिला कोरिया द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उप तहसील कोटाडोल अन्तर्गत कोटाडोल के आस-पास के नजदीकी गांवों को छोड़कर जो कोटाडोल से काफी दूर है तथा भरतपुर को पार कर जाना पड़ता है उन ग्रामों को तहसील भरतपुर में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया गया है।

2. प्रकरण दर्ज कर भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-105 के तहत राजस्व निरीक्षक मण्डल के सीमा में परिवर्तन के लिये जांच प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु प्रकरण मूलतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भरतपुर को भेजा गया।

3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भरतपुर के माध्यम से तहसीलदार भरतपुर के प्रतिवेदन सहित प्रकरण प्राप्त हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भरतपुर से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) के अधिसूचना क्र. 227/अ.भू.अ./2018 दिनांक 26-02-2018 को अधिसूचित कर राजस्व निरीक्षक मण्डल का पुनर्गठन किया गया है। जिसके तहत तहसील भरतपुर अन्तर्गत कुल 4 राजस्व निरीक्षक मण्डल गठित हुआ है। जिसमें उप तहसील कोटाडोल में 02 राजस्व निरीक्षक मण्डल क्रमशः घघरा व कोटाडोल हैं, तहसील मुख्यालय भरतपुर में 02 राजस्व निरीक्षक मण्डल भरतपुर व कुवारपुर हैं।

4. राजस्व निरीक्षक मण्डल संशोधन के संबंध में ग्रामों की भौगोलिक स्थिति व उप तहसील कोटाडोल की दूरी पर विचार किया गया। जिसमें पाया गया है कि उप तहसील कोटाडोल के राजस्व निरीक्षक मण्डल घघरा में कुल 08 पटवारी हल्के हैं जिसमें से पटवारी हल्का 20 उमरवाह, 21-धोवाताल, 26 भगवानपुर, 27 बरहोरी की दूरी तहसील मुख्यालय जनकपुर से कोटाडोल की अपेक्षा कम है एवं आवागमन के सुलभ साधन है। जिसमें हल्का नं. 20. उमरवाह, 21. धोवाताल, 26. भगवानपुर, 27 बरहोरी के पक्षकारों को जनकपुर पार करके कोटाडोल जाना पड़ता है। संशोधन हेतु प्रस्तावित ग्रामों का कोटाडोल व जनकपुर से तुलनात्मक दूरी दुगुना से अधिक है। छ.ग. भू-राजस्व संहिता की धारा-105 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल के हल्कों में आवश्यक संशोधन हेतु प्रतिवेदित किया गया है। प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत भगवानपुर, बरहोरी, चुटकी, धोवाताल, उमरवाह द्वारा सहमति दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील भरतपुर के राजस्व निरीक्षक

मण्डल के सीमाओं का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार किया जाता है :—

क्र.	तहसील का नाम	वर्तमान रा.नि.मं. का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं. का नाम	नवीन रा.नि.मं. में शामिल प.ह. मुख्यालय का नाम व नं.	ग्राम पंचायत का नाम	हल्के में सम्मिलित ग्रामों का नाम	खातों की संख्या	खसरा प्रविष्टियों की संख्या	मकबूजा रकबा	गैर मकबूजा रकबा	कुल क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	भरतपुर	घघरा	कुवांरपुर	उमरवाह-20	उमरवाह	उमरवाह चुटकी भवरखोह कारीमाटी मनौरा	70 32 47 19 3	297 340 276 54 28	142.300 118.360 144.570 44.940 6.490	37.430 92.710 196.870 16.990 29.760	179.730 211.070 341.440 61.930 36.250
						योग	171	995	456.660	373.760	830.420
2.	भरतपुर	घघरा	कुवांरपुर	धोवाताल 21	धोवाताल	धोवाताल मनटोलिया बरैल डंडवाझर सुतरी बोटारक्सा	71 37 64 5 8 16	356 162 269 15 12 77	140.330 79.290 107.600 9.181 5.430 28.330	246.430 36.620 82.420 11.460 0.850 15.400	386.760 115.910 190.020 20.620 6.280 43.730
						योग	201	891	370.160	393.180	763.320
3.	भरतपुर	घघरा	भरतपुर	भगवानपुर-26	भगवानपुर	भगवानपुर बघवार रेंद	320 25 68	1030 54 313	473.830 42.670 112.630	198.170 23.720 63.820	672.000 66.390 176.450
						योग	413	1397	629.130	285.710	914.840
4.	भरतपुर	घघरा	भरतपुर	बरहोरी-27	बरहोरी	बरहोरी ओहनिया पंडरी सेमरिहा हथवारी	206 78 73 182 65	730 487 457 771 574	372.550 184.020 143.600 351.010 143.470	313.130 70.040 68.590 195.650 331.300	685.680 254.060 212.190 546.660 474.770
						योग	604	3019	1194.650	978.710	2173.360
						महायोग	1389	5996	2650.600	2031.360	4681.940

सत्य नारायण राठौर,
कलेक्टर.